संख्या-741/2023/आई/368030/23-1-23/002-23-1002(002)/120/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 14 अगस्त, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के विभिन्न जनपदों के 13 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-5343/CE-HQ-1/RSN5054/GON/2023-24, दिनांक 28.07.2023, पत्र संख्या-5388/CE-HQ-1/RSN5054/GON/2023-24, दिनांक 31.07.2023 एवं पत्र संख्या-5415/CE-HQ-1/RSN 5054/GON/2023-24, दिनांक 01.08.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार देवीपाटन मण्डल के विभिन्न जनपदों के 13 मार्गों **के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,46,82,000/- (रूपये नौ करोड़ छियालीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 बहराइच	एन0एच0-927 से तिवारीपुरवा होते हुए यादवपुर चौराहा (केशवपुर सं0 मार्ग) तक सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी- दिनांक-07-01-2022	381.54 381.54 275.29 1.41 **380.13**	145.92	234.21	152.61
2	नि.ख.-1 बहराइच	राजस्व ग्राम-दुलम्हा से राजदेवपुरवा, माधवपुरवा, संतदेवपुरवा, देवरी, भिरवा सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी- दिनांक-07-01-2022	401.45 401.45 301.77 1.55 **399.90**	160.87	239.03	160.18
3	प्रा.ख. बहराइच	रायपुर टेपरहा इटहा इमामगंज मार्ग के किमी 14 से चमारनपुरवा (लक्ष्मणपुर शंकरपुर) सम्पर्क मार्ग।	13 /2021 /1239 रासनि/23-1-20-78 रासनि/20 -दिनांक- 18-01-2021	183.71 183.71 130.36 1.43 **182.28**	159.60	22.68	22.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
4	प्रा.ख. बहराइच	मांझा दरिया खुर्द सम्पर्क मार्ग पर सी.सी. एवं 2 मी0 स्पान की 3 नग आर0सी.सी. पुलिया का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी- दिनांक-07-01-2022	248.07 248.07 177.99 0.98 **247.09**	92.05	155.04	124.03
5	प्रा.ख. गोण्डा	सकदरपुर महाराजगंज से परसाटप्पा कोट होते हुए खास खुटिहन बेहरी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	46/2022/1844 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक- 07-01-2022	357.98 357.98 208.08 2.43 **355.55**	234.59	120.96	120.96
6	प्रा.ख. गोण्डा	मनकापुर कोट तिराहा मार्ग के कि0मी0 6 से नटटनपुरवा, फिरोजपुर होते हुए लौहरौली दयाशंकर मिश्रोलिया गोसाई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	46/2022/1844 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक- 07-01-2022	299.74 299.74 239.05 1.05 **398.69**	267.42	31.27	31.27
7	प्रा.ख. गोण्डा	कुड़ासन बाजार पुलिस चैकी के बगल से बल्दनपुरवा होते हुए उपाध्यायपुर डी0एम0बी0 मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	46/2022/1844 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक- 07-01-2022	234.55 234.55 180.23 2.05 **232.50**	218.59	13.91	13.91
8	प्रा.ख. गोण्डा	बौहान से नौडिहवा होते हुए खलगा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	46/2022/1844 रासनि/23-1-21-83 रासनि/20-दिनांक- 07-01-2022	160.41 160.41 123.03 1.05 **159.36**	151.14	8.22	8.22
9	नि.ख.-1 बहराइच	कान्धाभारी पंडितपुरवा प्रधानमंत्री सड़क से जोगनी कान्हूपुरवा देवानपुरवा मल्लोह होते हुए गोसाईपुरवा से मझरिया राजा ज्योत तक सं0 मार्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी- दिनांक-07-01-2022	308.17 308.17 233.61 0.58 **307.59**	204.90	102.69	70.28
10	प्रा.ख. बहराइच	रेहुवा मंसूर (राजस्व ग्राम रेहुवा मंसूर) सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 से गढ़वा सम्पर्क मार्ग	98/2021/242 रासनि/23-1-21-82 रासनि/20-दिनांक- 19-03-2021	266.71 266.71 178.63 2.16 **264.55**	241.83	22.72	22.72
11	नि.ख. बलरामपुर	महमूदनगर से इमलिया रज्जाक मार्ग का निर्माण कार्य।	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 - दिनांक-07-01-2022	210.33 210.33 149.67 0.15 **210.18**	145.10	65.08	65.08
12	नि.ख. बलरामपुर	गाय डीह से मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 - दिनांक-07-01-2022	183.26 183.26 130.11 0.13 **183.13**	124.45	58.68	58.68
13	नि.ख. बलरामपुर	ममारकपुर से संगम डीह, संगम डीह से कलवारन डीह तक मार्ग का निर्माण कार्य	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 - दिनांक-07-01-2022	292.83 292.83 208.90 0.73 **292.10**	195.69	96.41	96.20
						कुल योग-	**946.82**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **कुल रू0 9,46,82,000/- (रूपये नौ करोड़ छियालीस लाख बयासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-741/2023/आई/368030(1)/23-1-23/002-23-1002(002)/120/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।